

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

क्रमांक: 10 (2)वन/2001पार्ट

जयपुर, दिनांक:

अधिसूचना

03 JUN 2020

राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 52 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और इस विभाग की पूर्व अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 31.01.2019 को अतिष्ठित करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा नीचे दी अनुसूची में कालम संख्या 2 में वर्णित सहायक वन संरक्षक के पदो पर पूर्ण कालिक रूप से पदस्थापित राजपत्रित अधिकारियों को उनके सामने कालम संख्या 3 में वर्णित प्रादेशिक अधिकारिता क्षेत्र (रेंज) के भीतर स्थित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के अध्याय IXके अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत करती है तथा उक्त अनुसूची के कालम 2 में वर्णित सहायक वन संरक्षक के पदो पर पूर्णकालिक रूप से पदस्थापित राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश पर होने, राजकार्य हेतु मुख्यालय से बाहर रहने अथवा पद रिक्त होने पर उनके सामने कालम संख्या 4 में वर्णित उप वनसंरक्षक द्वारा उक्त अनुसूची के कालम संख्या 3 में वर्णित प्रादेशिक अधिकारिता क्षेत्र (रेंज) के भीतर स्थित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के अध्याय IXके अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत करती है, अर्थात :-

अनुसूची

| क्र. सं. | अधिकारी का पदनाम                            | नाम वन रेंज मय क्षेत्राधिकार  | अधिकारी का पदनाम    |
|----------|---|---|---------------------|
| 1        | 2   | 3   | 4                   |
| 1        | सहायक वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, अजमेर | 1 अजमेर<br>2 ब्यावर<br>3 किशनगढ<br>4 नसीराबाद<br>5 पुष्कर<br>6 सरवाड़ | उप वन संरक्षक अजमेर |
| 2        | सहायक वन संरक्षक, अलवर                      | 1 अलवर<br>2 बहरोड़<br>3 किशनगढबास                                     | उप वन संरक्षक, अलवर |
| 3        | सहायक वन संरक्षक, मुख्यालय राजगढ (अलवर)     | 1 लक्ष्मणगढ<br>2 राजगढ<br>3 थानागाजी                                  | उप वन संरक्षक, अलवर |



